दूरभाष - 011-23017203
फैक्स - 011-23018740

सं.-19015/1/2015-पपा./केंहिंप्रसं./4388-4487 तक

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
(राजभाषा विभाग)

केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान

email:adptracharchti-dol@nic.in

2-ए, पृथ्वीराज रोड,
नई दिल्ली. 110011.

दिनांक- 12/05/2015.......

सेवा में,

सभी संपर्क अधिकारी (हिंदी)
निदेशक/संयुक्त निदेशक /उप निदेशक /प्रशासनिक अधिकारी
सभी मंत्रालय, विभाग, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, निगम, निकाय, उद्‌यम,
संगठन तथा राष्ट्रीयकृत बैंक आदि ।

विषय - केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान के अधीन पत्राचार द्‌वारा हिंदी प्रबोध, प्रवीण तथा प्राज्ञ प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का 26 वाँ सत्र(जुलाई 2015 से मई 2016)

महोदय/महोदया,

केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान के अधीन पत्राचार द्‌वारा हिंदी प्रबोध, प्रवीण तथा प्राज्ञ प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का नया सत्र 1 जुलाई, 2015 से प्रारंभ होगा । प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए प्रशिक्षार्थियों की योग्यता एवं पात्रता का निर्धारण निम्नानुसार किया जाए -

1.	2.	3.	4.	5.
प्रशिक्षण सत्र	उद्देश्य	अवधि और आवेदन की अंतिम तिथि	पात्रता आदि	प्रोत्साहन
26वाँ सत्र (जुलाई 2015 से मई 2016)	ये पाठ्यक्रम भारत सरकार की राजभाषा नीति के अनुपालन में केंद्र सरकार तथा उसके उपक्रमों, निगमों, निकायों, राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि के उन अधिकारियों कर्मचारियों को हिंदी का सेवाकालीन प्रशिक्षण देने के लिए आयोजित किए जाते हैं, जिनके लिएं यह प्रशिक्षण अनिवार्य है।	एक वर्ष 30 जून, 2015.	जो अधिकारी कर्मचारी गृह मंत्रालय की हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत हिंदी प्रबोध/ प्रवीण/ प्राज्ञ कक्षाओं में प्रवेश लेने के लिए पात्र हैं किंतु जो अपनी तैनाती के स्थानों पर हिंदी प्रशिक्षण की सुविधाओं के उपलब्ध न होने या किन्हीं अन्य कारणों से अब तक प्रशिक्षित नहीं किए जा सके हैं । पात्रता संबंधी विस्तृत जानकारी के लिए परिशिष्ट-1 देखें ।	केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली के दिनांक 15.5.1991 के का.ज्ञा.सं.19015/4/91-केंहिंप्रसं.12256 के अनुसार पत्राचार के माध्यम से प्रबोध, प्रवीण व प्राज्ञ परीक्षा उत्तीर्ण करने पर यह माना जाएगा कि उन्होंने यह परीक्षा निजी प्रयत्नों से उत्तीर्ण की है । अतः निजी प्रयत्नों से परीक्षा उत्तीर्ण करने पर मिलने वाले नकद पुरस्कार उन्हें का.ज्ञा.सं.21034/66/2010-रा.भा.(प्रशि.) दिनांक 29.7.2011 के अनुसार देय होंगे। इन पुरस्कारों पर आने वाला व्यय संबंधित कार्यालय द्वारा वहन किया जाएगा।

2. वित्तीय प्रोत्साहन

परीक्षाएँ पास करने पर नकद पुरस्कार

प्राप्तांक प्रतिशत	55 प्रतिशत	60 प्रतिशत	70 प्रतिशत
प्रबोध	रु. 400 /-	रु. 800 /-	रु.1600 /-
प्रवीण	रु. 600 /-	रु. 1200 /-	रु. 1800 /-
प्राज्ञ	रु.800 /-	रु. 1600 /-	रु. 2400 /-

निजी प्रयत्नों से परीक्षाएँ पास करने पर एकमुश्त पुरस्कार

प्रबोध	प्रवीण	प्राज्ञ
रु. 1600/-	रु. 1500/-	रु. 2400/-

टिप्पणी-

जो प्रशिक्षार्थी निजी प्रयत्नों से हिंदी शिक्षण योजना की हिंदी भाषा की परीक्षाएँ उत्तीर्ण करते हैं उनको एकमुश्त पुरस्कार के अलावा नकद पुरस्कार प्रदान करते समय निर्धारित किए गए प्रतिशत से 5 प्रतिशत अंक कम प्राप्त करने पर भी नकद पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी ।

वैयक्तिक वेतन-

केंद्र सरकार के अधिकारियों/कर्मचारियों को हिंदी भाषा की प्रबोध/प्रवीण/प्राज्ञ परीक्षा में से जो भी परीक्षा संबंधित प्रशिक्षार्थी के लिए अंतिम परीक्षा निर्धारित की गई है उस परीक्षा को उत्तीर्ण करने पर 12 महीने की अवधि के लिए एक वेतन वृद्धि के बराबर राशि का वैयक्तिक वेतन दिया जाता है ।

पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए केवल निर्धारित प्रपत्र में हिंदी अथवा अंग्रेजी में विधिवत भरे हुए आवेदन पत्रों पर ही विचार किया जाएगा । पात्रता सुनिश्चित करने के बाद पात्र अधिकारियों/कर्मचारियों के आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में प्रवेश हेतु 30 जून, 2015 तक निम्नलिखित पते पर अग्रेषित किए जाएँ -

प्रभारी सहायक निदेशक
पत्राचार पाठ्यक्रम स्कंध (भाषा)
केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान,
राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय,
2ए, पृथ्वीराज रोड,
नई दिल्ली. 110011.
email:- adptracharchti-dol@nic.in